

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

संयुक्तादेश

दिनांक 03.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराये जाने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त संबंध में निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

(1) सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करावेंगे।

(2) भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।


(3) दिनांक-05.04.2021 से खुलनेवाले स्कूल, कॉलेज एवं कोविंग क्लासेज अब दिनांक 11.04.2021 तक बंद रहेंगे। (पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल/कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे)।


(4) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर - सरकारी एवं निजी - पर रोक दिनांक- 05.04.2021 से अप्रैल के अंत तक रहेगी। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम कमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

(5) सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।


(6) पब्लिक ट्रान्सपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठावेंगे।

(7) सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चित रहे।


(संजीव कुमार सिंघल)
पुलिस महानिदेशक, बिहार


(अरुण कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक:- जी/आपदा-06-02/2020 (वि0स0को0).....34 /पटना, दिनांक-3.4.2021
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस
मानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस
अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।